

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक प.17(11) शिक्षा-2/अन्तर-जिला स्था/2016 पार्ट-2 जयपुर दिनांक 19.07.2018 के क्रम में निम्नांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं समकक्ष का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित / स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 25/09/2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।


SR	NAME	POST	SUB	वर्तमान पदस्थापन स्थान	DIST	स्थानान्तरित स्थान	DIST
1	श्यामलाल शर्मा	Teacher (III Gr.) Level 1		राप्रवि कुम्हारों की बस्ती चौहटन बाडमेर से मावि पदमनियों का थला धोरीमन्ना, बाडमेर	BARMER	GOVT. GIRLS HR.SEC. SCHOOL SHAHPURA, SHAHPURA (08240326303)(SHAHPURA (SC))	BHILWARA
2	mahesh kumar saini	Teacher (III Gr.) Level 2	Mathematics	G.Adrash SR.SEC. SCHOOL, UDRASAR	Bikaner	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCH., PRITAMPURI, NEEM KA THANA (08130704608)(NEEM KA THANA)	Sikar
3	SANJU ASERI	Teacher (III Gr.) Level 1		GOVT. GIRLS SEC.SCHOOL, BATADU	BARMER	G.SR.SEC.SCHOOL, KALASAR (08030111502)	BIKANER
4	SAHDEV UJJWAL	Teacher (III Gr.) Level 2	Sanskrit	GOVT.SR. SEC.SCH_ AASKNDRA	JAISALMER	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, SUI (LUNKARANSAR) (08030208001)	BIKANER
5	HANSRAJ MEENA	Teacher (III Gr.) Level 2	Social Studies	GOVT. ADARSH .SR.SEC.SCHOOL, KONRA	BARMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAUJPUR (ALWAR)	ALWAR
6	NAWAL KISHOR MEENA	Teacher (III Gr.) Level 1		GOVT.SEN.SEC.SCH. NAI MORSEEM	JALOR	GOVT SECONDARY SCHOOL UDAWALA (08110207901)	DAUSA
7	HEMRAJ MEENA	Teacher (III Gr.) Level 2	Social Studies	GOVT.SR.SEC.SCH. 6 JKM	GANGANAGAR	GOVT. SER. SEC. SCHOOL RASIDPUR (08110408302)	DAUSA
8	HEMANTI BAI MEENA	Teacher (III Gr.) Level 2	Hindi	राप्रवि लुहारिया ब्लॉक भदेसर	CHITTAURGARH	Govt. SR. SEC. SCHOOL SOORWAL (08100501201)	S. MADHOPUR
9	KAMLESH MEENA	Teacher (III Gr.) Level 2	Social science	राउप्रावि भीमगढ प.स जैतारण	PALI	GOVT. SR. SEC. SCHOOL AKSHAY GARH (08100403401)	S. MADHOPUR
10	MANJU KUMARI	Teacher (III Gr.) Level 2	Social science	राउप्रावि मालास गुसाईया, परबतसर	Nagore	SHRI TULSIRAM GOVT.ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, THOON (08070208501)	BHARATPUR
11	DHANUSHPAL BHATI	Teacher (III Gr.) Level 2	English	Govt.Sr. SEC.School JEKDA	UDAIPUR	GOVERNMENT ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL THALI, CHAKSU (08121303301), JAIPUR	JAIPUR
12	गौतमप्रकाश शर्मा	Teacher (III Gr.) Level 2	English	राउमावि बडलिया-घाटोल	Banswara	राउमावि कालीवास	Rajsamand
13	सीमा भाटी	Teacher (III Gr.) Level 1		राउमावि हमीरा, (वर्तमान में कस्तुरबा गांधी बालिका छात्रावास, केलवा राजसमन्द में प्रतिनियुक्ति पर)	Jaisalmer	राउमावि राजसमन्द	Rajsamand
14	संगीता व्यास	Teacher (III Gr.) Level 2	Sanskrit	मॉडल विद्यालय कौंदिया ब्लॉक कोटडी जिला भीलवाडा में (रामावि खरताणा, मावली जिला उदयपुर से प्रतिनियुक्ति पर)	UDAIPUR	उमावि सुभाषनगर, भीलवाडा	BHILWARA

www.rajteachers.com

SR	NAME	POST	SUB	वर्तमान पदस्थापन स्थान	DIST	स्थानान्तरित स्थान	DIST
15	फतह सिंह चुण्डावत	Teacher (III Gr.) Level 2	English	रामावि नवाखेडा	banswara	राउमावि ओडा	Rajsamand

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे। शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :-

- माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं कराया जावे साथ ही ऐसे प्रकरण को तत्काल निदेशालय के ध्यान में लाया जावे।
- ऐसे अध्यापक जिनकी प्रथम नियुक्ति 31/12/2012 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे।
- प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31/12/2008 के पश्चात की हो तो उन्हें कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे, किन्तु 31/12/2008 अथवा उससे पूर्व नियुक्ति अध्यापक का अन्तर जिला स्थानान्तरण प्रतिबंधित से गैर प्रतिबंधित जिले में किये जाने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावाया जा सकेगा।
- स्थानान्तरण आदेश में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करावाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से विकलांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परिवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहे हो एवं स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होकर आता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे।
- टीएसपी क्षेत्र से नॉनटीएसपी में स्थानान्तरण प्रकरण हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे।
- लेवल-1 के अध्यापकों को लेवल-1 पर एवं लेवल-2 के अध्यापकों को लेवल-2 के पद के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावाया जावे। लेवल-2 के अध्यापकों को सम्बन्धित विषय (अर्थात् गणित/विज्ञान के शिक्षक को गणित/विज्ञान के पद पर, अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी के पद पर, हिन्दी के शिक्षक को हिन्दी के पद पर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के पद पर तथा तृतीय भाषा के शिक्षक को सम्बन्धित तृतीय भाषा के पद पर) के पद पर ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावे।
- माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत अध्यापक का स्थानान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में होने पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- स्वेच्छा से अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भीत से पदस्थापित परीक्षाधीन अध्यापक का हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया/करावाया जावे।
- शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण के समय कार्मिक की स्वेच्छा से स्थानान्तरण होने के कारण पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करावाया जावे।
- राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावाया जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक निर्वाचन विभाग की अ.शा. टीप कमांक एफ 1(21)II/बी/निर्वा/2018/4306 दिनांक 09/08/2018 के अनुसार चुनाव कार्यों के लिए पदाभिहित कार्मिक हो तो कार्मिक को दिनांक 27 सितम्बर, 2018 के पश्चात ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करावाया जावे।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1ए/तृतीय श्रेणी/स्थानान्तरण/वोल-1/कैम्प जयपुर/18

दिनांक- 17-9-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही करें एवं अन्य जिले से आपके जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता के संबंध में संबंधित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के नियम-29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम के नीचे कार्यवाही की जावेगी।
- संबन्धित संस्था प्रधान / कार्मिक।




संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com